रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 482] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 29, 2011/भाद्र 7, 1933

No. 482] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 29, 2011/BHADRA 7, 1933

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2011

सा.का.नि. 649(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 29ग और धारा 29घ की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 38क की उप-धारा (2) के खण्ड (ङ) और खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी सचिव क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी सचिव क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कम्पनी सचिव क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते नियम, 2006 में,—

(i) नियम 6 में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु जहां बोर्ड, संस्थान के किसी सदस्य से उसके द्वारा मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं करता है, वहां बोर्ड संस्थान से ऐसे सदस्य से सूचना प्राप्त करने और उसे बोर्ड को देने का निवेदन कर सकेगा :

परंतु यह और कि जहां बोर्ड कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कम्पनी से उसके द्वारा मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं करता है, वहां बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से सूचना प्राप्त करने में सहायता करने के लिए निवेदन कर सकेगा ।";

(ii) नियम 8 में, उप-नियम (1) "बोर्ड" शब्द से पूर्व "केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित सदस्यों से भिन्न" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iii) नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा :—

"9. यात्रा और अन्य भत्ते.—बोर्ड का अध्यक्ष और अन्य सदस्य दौरे के दौरान, निम्नानुसार दरों पर यात्रा भत्तों के हकदार होंगे :

(अ) हवाई यात्रा

(i) अध्यक्ष	बिजनेस क्लास द्वारा
(ii) सदस्य	इकॉनमी क्लास द्वारा

(आ) रेल द्वारा — वातानुकूलित प्रथम वर्ग

(इ) बोर्ड का अध्यक्ष और अन्य सदस्य जो सरकारी सेवक हैं, केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के अनुसार उन्हें यथा अनुज्ञेय पदीय हैसियत के अनुसार क्लास द्वारा यात्रा करने के हकदार होंगे ।

(2) भत्ते.—(i) बोर्ड का अध्यक्ष और अन्य सदस्य जो सरकारी सेवक नहीं हैं और उनके निवास का स्थान वही है जो बैठक का स्थान है, बोर्ड के कार्यक्रमों के संबंध में की गई स्थानीय यात्राओं के लिए उन्हें स्थानीय वाहन उपलब्ध कराया जाएगा या वातानुकूलित कैब सहित टैक्सी द्वारा यात्रा के लिए उपगत वास्तविक यात्रा व्ययों की और उनके द्वारा स्वयं की कार का उपयोग किए जाने की दशा में दस रुपये प्रति किलोमीटर की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

(ii) बोर्ड का अध्यक्ष और अन्य सदस्य निम्नानुसार दैनिक भत्ते के हकदार होंगे :

"क" वर्ग शहर	अन्य शहर
एक हजार रुपये प्रतिदिन	आठ सौ रुपये प्रतिदिन"।

(iii) बोर्ड का अध्यक्ष और [illegible] सरकारी सेवक नहीं हैं और उनके निवास का स्थान [illegible] बैठक का स्थान है, बोर्ड के कार्यक्रमों के संबंध में की गई स्थानीय यात्राओं के लिए उन्हें स्थानीय वाहन उपलब्ध कराया जाएगा या वातानुकूलित कैब सहित टैक्सी द्वारा यात्रा के लिए उपगत वास्तविक यात्रा व्ययों की और उनके द्वारा स्वयं की कार का उपयोग किए जाने की दशा में दस रुपये प्रति किलोमीटर की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

(iv) बोर्ड का अध्यक्ष और अन्य सदस्य जो सरकारी सेवक हैं, केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के अनुसार उन्हें यथाअनुज्ञेय पदीय हैसियत के अनुसार दैनिक भत्तों के हकदार होंगे ।

(v) बोर्ड द्वारा नियम 6 के अधीन आमंत्रित विशेषज्ञ, हवाई यात्रा में इकॉनमी क्लास द्वारा और रेल यात्रा में वातानुकूलित प्रथम वर्ग द्वारा यात्रा करने के हकदार होंगे तथा उप-नियम (2) के मद (ii) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट भत्तों के हकदार होंगे और उन्हें अध्यक्ष द्वारा यथा अवधारित फीस भी संदत्त की जा सकेगी जो उन्हें निर्दिष्ट प्रत्येक मामले पर सलाह के लिए पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगी ।"।

[फा. सं. 3/8/2006-आईजीसी/पीआई]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में सा.का.नि. 736(अ), तारीख 27 नवम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2011

G.S. R. 649(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (e) and (f) of sub-section (2) of Section 38A, read with Section 29C and sub-section (1) of Section 29D of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), the Central Government hereby makes the following amendments in the Company Secretaries Procedures of Meetings of Quality Review Board, and Terms and Conditions of Service and Allowances of the Chairperson and Members of the Board Rules, 2006, namely:—

1. (1) These rules may be called the Company Secretaries Procedures of Meetings of Quality Review Board, and Terms and Conditions of Service and Allowances of the Chairperson and Members of the Board (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Company Secretaries Procedures of Meetings of Quality Review Board, and Terms and Conditions of Service and Allowances of the Chairperson and Members of the Board Rules, 2006,—

(i) in rule 6, after clause (c), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that where the Board [illegible] the information called for by [illegible] of the Institute, the Board may request the Institute to obtain the information from such Member and furnish the same to the Board :

Provided further that where the Board does not receive the information called for by it from any company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Board may request the Central Government, the Ministry of Corporate Affairs for assistance in obtaining the information.";

(ii) In rule 8, in sub-rule (1), after the word "Board", the words "other than the Members nominated by the Central Government" shall be inserted;

(iii) for rule 9 the following rule shall be substituted, namely:—

"9. Travelling and other allowances.— (1) The Chairperson and other Members of the Board, while on tour, shall be entitled to travelling allowances at the rates as follows :

(A) By Air

(i) Chairperson		By Business Class
(ii) Members		By Economy Class
(B) By Train	—	AC First Class

(C) The Chairperson and other Members of the Board who are Government servants shall be entitled to travel by the class as admissible to them in their official capacity as per Central Civil Services (Revised Pay), Rules, 2008.

(2) Allowances.— (i) The Chairperson and other Members of the Board who are not Government servants and whose place of residence is the same as the venue of the meeting, for local travels undertaken in connection with the Board functions, shall be provided local conveyance or shall be reimbursed the actual conveyance expenses incurred for travel by taxi including air-conditioned cab and in case they use their car, ten rupees per kilometer.

(ii) The Chairperson and other Members of the Board shall be entitled for daily allowance as under :

"A" class Cities	Others Cities
Rupees one thousand per day	Rupees eight hundred per day".

(iii) The Chairperson and other Members of the Board who are Government servants whose place of residence is the same as the venue of the meeting, for local travels undertaken in connection with the Board functions, shall be provided local conveyance or shall be reimbursed the actual conveyance expenses incurred for travel by taxi including air-conditioned cab and in case they use their own car, rupees ten per kilometer.

(iv) The Chairperson and other Members of the Board who are Government servants shall be entitled to daily allowances as admissible to them in their official capacity as per Central Civil Services (Revised Pay), Rules, 2008.

(v) The experts invited by the Board under rule 6, shall be entitled to travel by economy class if travelling by air and by AC first class if travelling by train and shall be entitled to allowances as specified under item (ii) of sub-rule (2) and they may also be paid fees as may be determined by the Chairperson which shall not exceed five thousand rupees, for advice on each matter referred to them.".

[F. No. 3/8/2006-IGC/PI]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R.736(E), dated the 27th November, 2006.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.